राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2037/2015/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत बी, भिवाडी।
.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स नवरत्न पाईप एण्ड प्रोफाइल लि.,
इण्ड. एरिया, खुशखेडा, भिवाडी (अलवर)।
.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक
.....अपीलार्थी की ओर से

श्री ओ.पी.गुप्ता,
अभिभाषक
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 108/आरवैट/2014–15/अपी.प्राधि./अलवर में पारित आदेश दिनांक 08.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, भिवाडी (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2010 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 30 तहत् आरोपित रिवर्स टैक्स राशि रूपये 5,11,548/–, ब्याज राशि रूपये 1,84,158/– को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का वर्ष 2007–08 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.03.2010 को पारित किया गया था, जिसमें रिवर्स टैक्स 56,537/– आरोपित किया गया था, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की वैट ऑडिट रिपोर्ट में रूपये 5,68,085/– कर रिवर्स किया गया था। इस प्रकार मूल कर निर्धारण आदेश में रिवर्स टैक्स रूपये 5,11,548/– कम आरोपित होने के कारण सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी का आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 को पारित किया जाकर रिवर्स टैक्स रूपये 5,11,548/– आरोपित किया गया तथा व्यवहारी का आलौच्य अवधि में आगत कर शेष नहीं होने के कारण ब्याज राशि रूपये 1,84,158,/–आरोपित किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए कुल मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.....2

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्को में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को में यह कहा कि सशक्त अधिकारी ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई नोटिस जारी नहीं किया, एवं इस प्राकर उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ। आगे अपने कथन में उन्होंने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने संशोधित कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 पारित करते समय प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया, जो कि न्यायहित में आवश्यक था। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए उक्त प्रकरण पुनः कर निर्धारण करने बाबत् सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष